न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/2011/03

1. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी स्व0 श्री हनुमान सहाय
2. दिनेश पुत्र स्व0 श्री हनुमान सहाय
3. गिरधर पुत्र स्व0 श्री हनुमान सहाय
4. श्रीमती सीमा पुत्री हनुमान सहाय
5. श्रीमती मंजू पुत्री श्री हनुमान सहाय

समस्त जाति बलाई निवासीयान ग्राम देवलिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर

–वादीगण

बनाम

1. श्रीमती गुलाबदेवी पत्नी स्व0 श्री मंगलाराम जाति बलाई, निवासी ग्राम देवलिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर (राज0)
2. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर (राज0)
3. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये सचिव जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत् दुरूस्ती, इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांकः 23.12.2022

वादीगण की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि वाकै ग्राम हरचन्दपुरा उर्फ देवलिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित साबिक खसरा नंबर 240 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा में 3 बिस्वा भूमि पर वादीगण के ससुर व दादा तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पति स्व0 मंगला ने संवत् 2027 से काबिज होकर बाडा बनाया संवत् 2027 अर्थात सन् 1970 से काबिज पूर्व में मंगला पुत्र हरदेव उसके पश्चात् वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 काबिज होकर बार्ड का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उक्त गैर मुमकिन बाडें बाबत् वादीगण के हकपूर्वाधिकारी मंगला पुत्र हरदेव के पक्ष में दिनांक 29.11.1971 को नियमन आदेश न्यायालय द्वारा पारित किये गये। आज दिनांक 29.11.1971 के आधार पर खसरा नंबर 240 रकबा 3 बिस्वा की खातेदारी का नामांतकरण संख्या 83 दिनांक 30.08.1977 को तस्दीक किया गया। खसरा नंबर 240 के नये खसरा नंबर 240/521 रकबा 3 बिस्वा कायम कर खातेदारी बतौर राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी संवत् 2039 से 2042 में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के हक पूर्वाधिकारी स्व0

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

मंगला पुत्र हरदेव दर्ज रही। दौराने सेटलमेंट भूप्रबंध अधिकारियों द्वारा साबिक खसरा नंबर 240/521 रकबा 3 बिस्वा के नये खसरा नंबर बनाकर साबिक खसरा नंबर 240 रकबा 9 बीघा के से बने हाल खसरा नंबरान् में शामिल कर वादीगण के हक पूर्वाधिकारी मंगला की खातेदारी समाप्त कर दी थी। भू प्रबंध विभाग की उक्त कार्यवाही वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के अधिकारो तक प्रभावशून्य है व क्लेदम बेअसर है। वादीगण मंगला पुत्र हरदेव का स्वर्गवास हो गया है। वादीगण संख्या 1 लगायत 5 मंगला के स्वर्गीय पुत्र हनुमान सहाय की पत्नी व पुत्र पुत्रिया व प्रतिवादी संख्या 1 पत्नी है। जिनका उक्त सम्पत्ति में राईट टूश्यू सरवाईव करता है। अपने अधिकारो के लिए वादीगण द्वारा उक्त दुरूस्ती वादपत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर घोषणा इस अमर की फरमायी जावे कि ग्राम हरचन्दपुरा उर्फ देवलिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 240/521 रकबा 3 बिस्वा, गैर मुमकिन बाडा से बने नये खसरा नंबर रकबा 3 एयर का खातेदार काश्तकार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को घोषित किया जावें। वाद वादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वो वादीगण उनके कब्जे की भूमि रकबा 3 एयर गैर मुमकिन बाडे कें उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलअंदांजी तोड, फोड बेदखली नही करे, और न ही गलत राजस्व रेकॉर्ड के आधार पर उक्त भूमि किसी दिगर व्यक्ति या संस्था को आवंटित करें, और न ही उक्त कार्य अन्य से करावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को जवाब दावे हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी जवाब दावा पेश नही करने पर जवाब दावे का अवसर बंद किया गया। वकील वादी की ओर से साक्ष्य शपथपत्र पीडब्ल्यू–1 श्रीमती शान्ति देवी पत्नि स्वर्गीय हनुमान सहाय, पीडब्ल्यू– श्री दिनेश पुत्र स्वर्गीय हनुमान सहाय पेश किये जो शामिल पत्रावली है। मुख्य परीक्षण करवाया गया। वकील प्रतिवादी को जिरह हेतु अवसर देने के उपरांत भी जिरह नही करने पर जिरह का अवसर बंद किया गया। वकील प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नही करने पर साक्ष्य का अवसर बंद किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस वादपत्र नियत की गई।

बहस वादपत्र पर वकील उभयपक्ष सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद में अंकन कि वाकै ग्राम हरचन्दपुरा उर्फ देवलिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित साबिक खसरा नंबर 240 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा में 3 बिस्वा भूमि पर वादीगण के ससुर व दादा तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पति स्व0 मंगला ने संवत् 2027 से काबिज होकर बाडा बनाया संवत् 2027 अर्थात सन् 1970 से काबिज पूर्व में मंगला पुत्र हरदेव उसके पश्चात् वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 काबिज होकर बार्ड का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उक्त गैर मुमकिन बाडें बाबत् वादीगण के हकपूर्वाधिकारी मंगला पुत्र हरदेव के पक्ष में दिनांक 29.11.1971 को नियमन आदेश न्यायालय द्वारा पारित किये गये। आज दिनांक 29.11.1971 के आधार पर

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नंबर 240 रकबा 3 बिस्वा की खातेदारी का नामांतकरण संख्या 83 दिनांक 30.08.1977 को तस्दीक किया गया। खसरा नंबर 240 के नये खसरा नंबर 240/521 रकबा 3 बिस्वा कायम कर खातेदारी बतौर राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी संवत् 2039 से 2042 में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के हक पूर्वाधिकारी स्व0 मंगला पुत्र हरदेव दर्ज रही। दौराने सेटलमेंट भूप्रबंध अधिकारियों द्वारा साबिक खसरा नंबर 240/521 रकबा 3 बिस्वा के नये खसरा नंबर बनाकर साबिक खसरा नंबर 240 रकबा 9 बीघा के से बने हाल खसरा नंबरान् में शामिल कर वादीगण के हक पूर्वाधिकारी मंगला की खातेदारी समाप्त कर दी थी। और प्रार्थना की है कि आराजी खसरा नंबर 240/521 रकबा 3 बिस्वा, गैर मुमकिन बाडा से बने नये खसरा नंबर रकबा 3 एयर का खातेदार काश्तकार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को घोषित किया जावें।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श–1 नकल फैसला बइजलास श्री सूरज प्रकाश शर्मा सांगानेर दिनांक 21.11.71 के अवलोकन से जाहिर है कि साबिक खसरा नंबर 240 गै0मु0रास्ते में से 500 वर्गगज का नियमन मंगला पुत्र हरदेव राम बलाई के किया गया था। प्रदर्श–2 नामान्तकरण संख्या 83 दिनांक 30.08.77 से जाहिर है कि साबिक खसरा नंबर 240 में से 3 बिस्वा का नामान्तकरण मंगलाराम पुत्र हरदेवाराम बलाई के नाम स्वीकृत किया गया। प्रदर्श–3 जमाबंदी(खतौनी) सम्वत् 2039 से 2042 के अवलोकन से जाहिर होता है कि साबिक खसरा नंबर 240/521 रकबा 3 बिस्वा किस्म गै0मु0बाडा के खातेदार वादीगण के पूर्वज मंगला पुत्र हरदेव कौम बलाई सा0देह खातेदार थे। उपरोक्त दस्तावेजात से यह तो जाहिर होता है कि वादीगण के पूर्वज मंगला पुत्र हरदेव को साबिक खसरा नंबर 240 में से 500 वर्गगज का नियमन 1971 में किया गया। और सम्वत् 1939 से 1942 की जमाबंदी में भी साबिक खसरा नंबर 240/521 की खातेदारी में वादीगण के पूर्वज मंगला का नाम दर्ज था। लेकिन वादीगण यह साबित नही कर पाये है कि साबिक खसरा नंबर 240/521 के नये नंबर कौनसे बनाये गये। व साबिक खसरा नंबर 240/521 को साबिक खसरा नंबर 240 में किस आदेश से मिलाया गया हो। ऐसे में वादीगण अपने वाद को पूर्ण रूप से सिद्व करने में असफल रहे है। अतः वादीगण का वाद खारिज किये जाने से खारिज किया जाता है।

पेशाबली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** व इजलास **श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)**

श्रीमती शान्ती देवी व अन्य **बनाम** श्रीमती गुलाब देवी व अन्य

वाद बाबत् दुरूस्ती, इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर – दावा/2011/03

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श–1 नकल फैसला वइजलास श्री सूरज प्रकाश शर्मा सांगानेर दिनांक 21.11.71 के अवलोकन से जाहिर है कि साबिक खसरा नंबर 240 गै0मु0रास्ते में से 500 वर्गगज का नियमन मंगला पुत्र हरदेव राम बलाई के किया गया था। प्रदर्श–2 नामान्तकरण संख्या 83 दिनांक 30.08.77 से जाहिर है कि साबिक खसरा नंबर 240 में से 3 विस्वा का नामान्तकरण मंगलाराम पुत्र हरदेवाराम बलाई के नाम स्वीकृत किया गया। प्रदर्श–3 जमाबंदी(खतौनी) सम्वत् 2039 से 2042 के अवलोकन से जाहिर होता है कि साबिक खसरा नंबर 240/521 रकवा 3 विस्वा किस्म गै0मु0वाडा के खातेदार वादीगण के पूर्वज मंगला पुत्र हरदेव कौम बलाई सा0देह खातेदार थे। उपरोक्त दस्तावेजात से यह तो जाहिर होता है कि वादीगण के पूर्वज मंगला पुत्र हरदेव को साबिक खसरा नंबर 240 में से 500 वर्गगज का नियमन 1971 में किया गया। और सम्वत् 1939 से 1942 की जमावंदी में भी साबिक खसरा नंबर 240/521 की खातेदारी में वादीगण के पूर्वज मंगला का नाम दर्ज था। लेकिन वादीगण यह साबित नही कर पाये है कि साबिक खसरा नंबर 240/521 के नये नंबर कौनसे वनाये गये। व साबिक खसरा नंबर 240/521 को साबिक खसरा नंबर 240 में किस आदेश से मिलाया गया हो। ऐसे में वादीगण अपने वाद को पूर्ण रूप से सिद्व करने में असफल रहे है। अतः वादीगण का वाद खारिज किये जाने से खारिज किया जाता है।

निज ....—.... मुबलिग ....—.... बाबत् ....—.... ....—.... खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह ....—.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....—.... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.12.2022 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत सहायक कलक्टर

ओहदा जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान		00	मीजान		

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय